

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

बगदी राम बनाम लीला

128 प.सि.क

कार्यवाही अन्तर्गत

किसम मुकदमा

जा.पत्र

नं.

73 सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>25¹¹/₂₀₂₀</p> <p>2020 00124</p>	<p>पत्रावली प्रस्तावत गांवो के लॉग इनिशियल 2021 के तहत जा.पत्र घोषणा पर जारी किए गये में निम्नलिखित हेतु जारी गये (हमारे पत्रावली का इकलौता किताब (जमीन जा.पत्र घोषणा) स्थित आरजी (एनो) 805, 809 कीता 2 रकबा 0.1000 हे. एवं आ.नं. 802, 808 कीता 2 रकबा 0.1100 हे. कुल कीता 4 कुल रकबा 0.2100 हे. अर्थात् की पत्थरगरी के लॉग याददास्त है। पत्रावली में एलान नमान जमावगी नम्बर 2066-2069 कुमुदा उक्त आरजी प्रस्तावत जा.पत्र के नाम बगदी राम से ही रिकार्ड है। (इतरे जा.पत्र के जा.पत्र पर इनिशियल द्वारा 128 प.सि.क खीला किताब जाकर जा.पत्र घोषणा की आरजी नम्बर 805, 809, 802, 808 कीता 4 कुल रकबा 0.2100 हे. कुल रकबा 0.2100 हे. अर्थात् कीता कीता के कलमे में पत्थरगरी किए लेटलमेन्ट नक्शे इंगुला पत्थरगरी किए जाके के इच्छे रिए जाते हैं। कमिश्नर अल्ट 500-00 रुसेरे पांच लो रुपए जा.पत्र वहन करेगा। पालकाव तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि पत्रावली के लिखित प्रमाण देकर निम्नलिखित पत्थरगरी की जावे एवं पत्रावली रिपोर्ट आरजी में उल्लेख करें। पत्रावली के लॉग अंशों को नम्बर से कम है।</p>	

(सियाम मुखर विरनोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

